तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./1101/2006/अजमेर** **श्रवणलाल बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख
9–7–19	**एकल–पीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** उपस्थिति श्री दुनीचंद, अभिभाषक अपीलांट श्री ओ.पी.भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट **निर्णय** 1. यह अपील अंतर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व विद्धान राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 04.01.2006 के प्रस्तुत की गई हैं। 2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवंटन सलाहकार समिति, अध्यक्ष उप खण्ड अधिकारी, मसूदा (अजमेर) (जिसे आगे **"आवंटन अधिकारी"** कहा जायेगा) की ग्राम पीपलाज, देवगढ़ की बैठक दिनांक 21.06.2002 द्वारा अपीलार्थी श्रवण को भूमि ख.नं. 1977/1 पुराना नया ख. नं. 1238 रकबा 16 बीघा का आवंटन व नियमन इस आधार पर नहीं किया कि मौके पर काश्त नहीं पाई गयी व भूमि की किस्म चारागाह है। अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर (जिसे आगे **"प्रथम अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 04.01.2006 द्वारा खारिज की गई जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3. उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4. विद्धान अभिभाषक अपीलार्थी की और से कथन किया गया कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 977/1 रकबा 16 बीघा आराजी पर संवत 2024 से पूर्व से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, इस कारण अपीलांट पुराने कब्जे के आधार पर आराजी को आवंटन/नियमन करवाने का अधिकारी है किन्तु आवंटन अधिकारी ने तथ्यों पर ध्यान दिये बिना निर्णय पारित किया है व आवंटन नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट की अपील खारिज की है। अपीलीय अधिकारी ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि ग्राम पंचायत ने अपने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.1999 एवं दिनांक 24.10.1999 के द्वारा विवादित आराजी को अपीलांट का आवंटन / नियमन करने की सिफारिश की, इसे भी अपीलीय न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। इन्होंने अपील स्वीकार कर विवादित भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन करने हेतु अनुरोध किया। 5. विद्धान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया गया कि समिति के सदस्यो ने मौका निरीक्षण किया है व राजस्व रिकार्ड के आधार पर गौचर होने के कारण भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया है जो विधिसम्मत है। इन्होंने अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। 6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1101 / 2006 / अजमेर** **श्रवणलाल बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख
	7. विचाराधीन प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया है व मौके पर काश्त नहीं पाई गई तथा राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि चारागाह होने के कारण विवादित भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया गया है व निर्णय सर्वसम्मति से हुआ हैं। अपीलार्थी स्वयं भी समिति के समक्ष उपस्थित था। जहॉ तक ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्रों का संबंध है तो स्वयं सरपंच बैठक में उपस्थित रहे है और उनकी उपस्थिति में ही निर्णय हुआ है इसलिये प्रमाण पत्रों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आवंटन सलाहकार समिति ने विवादित भूमि की किस्म गौचर होने के कारण आंवटित नहीं की है। अपीलार्थी ने भूमि के गौचर होने के तथ्य को विवादित नहीं किया है। Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 के नियम 4 (i) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि आवंटन योग्य नहीं मानी गई है तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(i) में चारागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि मानी गई है। इस प्रकार विधिक प्रावधान के अनुसार चारागाह भूमि का आवंटन या नियमन नहीं हो सकता तथा विवादित भूमि गौचर भूमि है जो उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की होने के कारण इसका आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता तथा आंवटन सलाहकार समिति ने विधिवत रूप से अपीलार्थी को विवादित भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया है जो विधिसम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी इसे यथावत रखने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार अपील खारिज योग्य है। 8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 9. निर्णय सुनाया गया। **(नत्थूराम)** **सदस्य**	